

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

संवेदक Kishore Kumar Singh(Regd. No-1240087), At-Kshatriya Nagar, Dist-Aurangabad, Pin-824101 द्वारा कार्य प्रमंडल, इमामगंज के अधीन एम0जी0एस0वाई0 योजनान्तर्गत निविदा (टेन्डर आई0डी0-140471) में भाग लिया गया।

उक्त निविदा में संवेदक द्वारा समर्पित अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन OMMAS से कराने के उपरांत पाया गया कि प्रश्नगत अनुभव प्रमाण पत्र में वर्णित कार्य किसी अन्य संवेदक Dhananjay Kumar Singh द्वारा पूर्ण कराया गया है, जिससे स्पष्ट है कि संवेदक द्वारा उक्त निविदा में समर्पित अनुभव प्रमाण पत्र प्रमाण-पत्र जाली है।

संदर्भित निविदा में फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र समर्पित करने के कारण संवेदक Kishore Kumar Singh को निविदा के तकनीकी बीड समिति की बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक 2663 दिनांक 04.06.2025 द्वारा अयोग्य घोषित करते हुए गै0स0प्रे0सं0 243 अनु0 दिनांक 22.08.2025 द्वारा संवेदक के विरुद्ध बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 में आलोक में कार्रवाई किये जाने हेतु अनुशंसा उपलब्ध कराया गया।

संवेदक के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने हेतु किये गये अनुशंसा के आलोक में संवेदक के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने से पूर्व विभागीय पत्रांक 9430 दिनांक 01.09.2025 एवं 10344 दिनांक 25.09.2025 द्वारा संवेदक से कारणपृच्छा की गई।

उक्त कारणपृच्छा के आलोक में संवेदक द्वारा दिनांक 13.10.2025 को पत्र समर्पित करते हुए स्वास्थ्य कारणों का उल्लेख करते हुए आरोप के बिंदु पर स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु 10(दस) दिनों की मांग की गई। उक्त समयावधि बीत जाने के उपरांत पुनः दिनांक 03.11.2025 को पत्र समर्पित करते हुए स्वास्थ्य कारणों का उल्लेख करते हुए आरोप के बिंदु पर स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु 10(दस) दिनों की मांग की गई।

वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि संवेदक द्वारा बार-बार स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए आरोप के बिंदु पर स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु समय की मांग किया जा रहा है, जिससे स्पष्ट है कि संवेदक द्वारा विभाग को भ्रमित करके मामले को लंबा खींचा जा रहा है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में संवेदक Kishore Kumar Singh(Regd. No-1240087, PAN-BMBPS2072L) द्वारा कार्य प्रमंडल, इमामगंज के अधीन निविदा (टेन्डर आई0डी0-140471) में फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र समर्पित करने के कारण बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) अधिसूचना संख्या-8123 दिनांक 19.12.2007 की कंडिका 11(क) की उपकंडिका (ix) एवं 11(ख)(ii) में निहित प्रावधान के आलोक में संवेदक को 02(दो) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।


11.11.25

(जय किशोर ठाकुर)

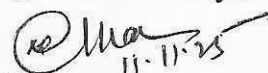
अभियंता प्रमुख

/पटना, दिनांक:- 11.11.25

ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-14-274/2025

11413

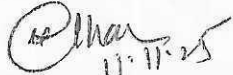
प्रतिलिपि:-Kishore Kumar Singh(Regd. No-1240087), At-Kshatriya Nagar, Dist-Aurangabad, Pin-824101 को सूचनार्थ प्रेषित।


11.11.25

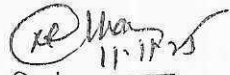
अभियंता प्रमुख

निबंधित

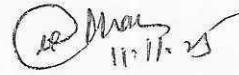
ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-14-274/2025 11413 /पटना, दिनांक:- 11.11.25
प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण
विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/योजना एवं विकास विभाग/लोक
स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि
विभाग/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण
विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग,
बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


11.11.25
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:- 14/अ0प्र0-14-274/2025 11413 /पटना, दिनांक:- 11.11.25
प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सभी
मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी
कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


11.11.25
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:- 14/अ0प्र0-14-274/2025 11413 /पटना, दिनांक:- 11.11.25
प्रतिलिपि:-आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित।


11.11.25
अभियंता प्रमुख

क.